संख्या–1718 / 9–आ–4–99–399एन0/99

प्रेषक,

जावेद अहतेशाम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ / मंसूरी–देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक : 22 जून, 1999

विषय :शासनादेश दिनाँक 1–12–98 को व्यवस्थानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19–3–99 के कारण बाधित होने के फलस्वरूप निर्गत डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष्य धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि शासनादेश दिनाँक 1–12–98 की व्यवस्थानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों में निर्गत डिमाण्ड नोटिस की धनराशि उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19–3–99 से फ्री–होल्ड की कार्यवाही स्थगित होने के कारण 90 दिन की अवधि के अन्दर नहीं जमा कराई जा सकी है इस प्रकार उन्हें 90 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदक गणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 19–3–99 से फ्री–होल्ड की कार्यवाही बाधित होने के कारण डिमाण्ड नोटिस की धनराशि 90 दिन के अन्दर नहीं जमा की जा सकी है उन्हें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर धनराशि जमा किये जाने की स्थिति में 20 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रचलित व्यवस्थानुसार अनुमन्य किया जाय।

कृपया तदनुसार उक्त श्रेणी के फ्री–होल्ड प्रकरणों में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका समुचित प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।